न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 243 वर्ष 2022

आवेदक–राधेश्याम महतो वगैरह
ग्राम – पेटरवार टोला –मठ टोला
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– खुशबू देवी
ग्राम– रॉगामाटी(नावाडीह)
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
15/05/23	(see below)	c.c. Issued 23/06/23

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. राधेश्याम महतो 02. राजु महतो दोनो के पिता स्व0 चुनर महतो उर्फ चुनेर महतो निवासी ग्राम पेटरवार टोला मठ टोला थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पोडदाग	26	09	111	2.63 ए0	11¼ डी0	आ0 योग्य

को वे अपने बीमारी के ईलाज एवं परिवारिक खर्च हेतु मो0 6,75,000/–(छः लाख पचहतर हजार) रूपये में क्रेता– खुशबू देवी पति भुनेश्वर ठाकुर निवासी ग्राम रॉगामाटी (नावाडीह)थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 366/रा0 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 381 दिनांक 19.04.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेतागण कुर्मी जाति एवं केता हजाम जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेतागण का मूल एवं वर्तमान ग्राम पेटरवार टोला मठ टोला एवं केता का मूल एवं वर्तमान ग्राम रॉगामाटी(नावाडीह) एवं दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में दलजीत कुरमी, रामधन कुरमी, वो रामदास कुरमी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी रामधन कुरमी वगैरह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 1/149 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है। बिकेतागण को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेतागण का दादा–पोता का संबंध है। बिकी वाली भूमि बिकेतागण के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेतागण को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज दलजीत कुरमी, रामधन कुरमी, वो रामदास कुरमी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी रामधन कुरमी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। बिकेतागण द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि बिकेतागण के पिता चुनर महतो उर्फ चुनेर महतो दोनों एक ही व्यक्ति थे तथा दोनों के नाम से जाने जाते थे।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. बिकेतागण– दलजीत कुरमी वगैरह के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, रामधन कुरमी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेताागण कुर्मी जाति एवं केता हजाम जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेताागण ग्राम पेटरवार टोला मठ टोला एवं केता ग्राम रॉगामाटी(नावाडीह) वे दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदकगण 01. राधेश्याम महतो 02. राजु महतो दोनो के पिता स्व0 चुनर महतो उर्फ चुनेर महतो निवासी ग्राम पेटरवार टोला मठ टोला थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पोडदाग	09	111	2.83 ए0	11¼ डी0	रामा महतो	नीतु देवी वो रास्ता	रामा महतो	संजय कुमार ठाकुर
कुल 11¼ डी0 (ग्यारह पूर्णांक एक बटा चार) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 6,75,000/–(छः लाख पचहतर हजार)या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–खुशबू देवी पति भुनेश्वर ठाकुर निवासी ग्राम रॉगामाटी(नावाडीह) थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.04 12:26:15 +05:30
Location: 192.168.202.43

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

15/05/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।